बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: आदेश :–

संचिका संख्या–6/अ0–03–18/2021 पटना, दिनांकः–

श्रीमती ताविषी प्रिया, तत्कालीन राज्य–कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर सम्प्रति राज्य–कर सहायक आयुक्त, गाँधी मैदान अंचल, पटना द्वारा दिनांक–03.12.2024 से 19.06.2025 तक कुल 199 दिनों का उपार्जित/असाधारण अवकाश बिना पूर्वानुमति/स्वीकृति के उपभोग किया गया जिसे विभागीय आदेश संख्या–2286 दिनांक–23.06.2026 के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उक्त अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृत किये जाने हेतु समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6/अ0–03–18/2021 3751 पटना, दिनांकः– 23/09/26

प्रतिलिपि :– वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली)/राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा/ राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना/अंचल प्रभारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर एवं गाँधी मैदान अंचल, पटना/ नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0 एस0, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ताविषी प्रिया, राज्य–कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गाँधी मैदान अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.09.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।